न्यायालय मोटर यान दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण/जिला जज, गोण्डा।

एम0ए0सी0पी0 संख्या–01/2017

CNR No. UPGD010000732017

श्रीमती उर्मिला आदि बनाम अंजनी श्रीवास्तव आदि

समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक–08.09.2017

पत्रावली पेश हुई,

दिनांक 04.09.2018 को प्री ट्रायल में 33क1 संधि–पत्र उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किया गया। संधि–पत्र पर याची उर्मिला के फोटो व निशानी अंगूठा की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जी0पी0 मिश्रा ने की। विपक्षीगण की तरफ से विपक्षी संख्या 01 व 03 के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आर0 एस0 वर्मा ने संधि–पत्र पर हस्ताक्षर किये। याचिका पर लगे फोटो से मिलान किया गया।

संधि–पत्र पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। पक्षकारों ने संधि–पत्र सुन व समझकर तस्लीम किया। उक्त को दिनांक 08.09.2018 को तस्दीक किया गया।

मैनें संधि–पत्र का अवलोकन किया। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रतिकर याचिका निस्तारित होनें योग्य है।

आदेश

संधि–पत्र 33क1 के अनुसार प्रस्तुत प्रतिकर याचिका निर्णीत की जाती है। विपक्षी संख्या 01 व 03 को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश के दो माह के अन्दर 02,45,000/– रुपये बतौर प्रतिकर एकाउण्टपेयी चैक के माध्यम से इस न्यायाधिकरण में जमा करें।

उक्त प्रतिकर की धनराशि में से 01,45,000/– रुपये याची संख्या 01 उर्मिला प्राप्त करेगी। याची संख्या 1 को प्राप्त होनें वाली धनराशि एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से प्राप्त करेगी। शेष प्रतिकर की धनराशि 01,00,000/– रुपये में से याची संख्या 02 ता 04 क्रमशः कुमारी लकी, अनुज व कुमारी हुमांशी समान भाग प्राप्त करेगें। याची संख्या 2 ता 4 अवयस्क हैं अतः उनके हिस्से की सम्पूर्ण धनराशि उनके वयस्क होनें तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

विपक्षी संख्या 01 व 03 द्वारा दो माह के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण में जमा न करने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि पर आदेश की तिथि से वसूली की तिथि तक 07 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज भी देय होगा।

संधि–पत्र 33क1 निर्णय/आदेश का अंश करार किया जाता है।

(राघवेन्द्र)

दिनाक–08.09.18 जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।